न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 111/2021/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांक 06.09.2021

अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट 1956

उनवान

ग्राम पंचायत सिसोला जरिये सरपंच, पंचायत समिति नैनवां, जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र स्व0 श्री बजरंग,
2. रामकरण पुत्र स्व0 श्री बजरंग,
   जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम सिसोला, तहसील नैनवां, जिला बून्दी
3. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री महेश योगी अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 3

::निर्णय::

दिनांक 23.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 157/प्रार्थना–पत्र/2019 बउनवान रामकिशन वगैराह बनाम ग्राम पंचायत सीसोला जरिये सरपंच वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2019 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 14.11.2017 के परिप्रेक्ष्य में रेस्पो0 क्र. 1 रामकिशन की खसरा संख्या 387/1895 रकबा 7 बीघा व रेस्पो0 क्र.2 रामकरण की भूमि खसरा संख्या 387/1894 रकबा 7 बीघा खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को छोड़ते हुये पंचायत की आवंटित भूमि 7 बीघा की पैमाईश (सीमाज्ञान कर) पंचायत को सम्भलाने तथा खातेदारान की कब्जे काश्त की भूमि उनके कब्जे काश्त अनुसार तरमीम किये जाने का निर्णय दिनांक 30.09.2019 पारित किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30.09.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अपीलार्थी को बिना किसी नोटिस व सूचना के दिनांक 30.09.2019 को स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय न्याय, संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सूचना व सुनवाई के अधिकारों से वंचित करते हुये पूर्णतया नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लघंन करके निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में बिना तामील के ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, जो पूर्णतया सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी को आबादी विस्तार हेतु सेट–अपार्ट की गई भूमि जो कि खसरा नं0 387 की 7 बीघा कृषि आराजी है, जिस पर मौका स्थिति के अनुसार पूर्व से ही आबादी विकसित होने के कारण व बैरवा बस्ती बसी होने से ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिये आवंटित की गई थी। उक्त खसरा नं० पूर्णतया आबादी की भूमि से घिरा हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की रिपोर्ट हल्का पटवारी से प्राप्त किये मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय बतौर पक्षकार क्रम 2 अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थनापत्र को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं के द्वारा ही निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि पूर्व का आदेश जो तरमीम बाबत दिया गया था, उक्त आदेश को निरस्त करवाये बिना पुनः स्वयं द्वारा ही निर्णय पारित करते हुये पूर्व की तरमीम निरस्त नहीं की जा सकती है। यदि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 प्रभावित थे तो सक्षम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विधि सम्मत अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते थे। परन्तु विधि से परे जाकर जो निर्णय पारित किया गया है, वह निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 को जैसा कि निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वह आवंटी है और अधीनस्थ न्यायालय के सेट अपार्ट आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उक्त अपील को दिनांक 12.09.2017 को खारिज फरमाया गया है और जैसा कि निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व मण्डल अजमेर ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार फरमाया है परन्तु कहीं पर भी यह तथ्य नहीं है कि ग्राम पंचायत को सेट अपार्ट की गई भूमिं को निरस्त किया गया हो।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

इसके उपरांत भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने आबादी की भूमि को नजर अन्दाज करते हुये मौके की स्थिति से विपरीत जाकर जो तरमीम निरस्ती बाबत आदेश पारित कर कब्जे काश्त अनुसार तरमीम करने बाबत जो आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधी विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त खसरा नम्बर की भूमिं पर आबादी बसी हुई है, मकान बने हुये है, और राजकीय अनुदान से प्रधानमन्त्री आवासीय योजना व मुख्यमन्त्री सहायता कोष से सरकारी धन का उपयोग कर ट्यूबवैल, हैण्डपम्प, मोटर, पेयजल के साधन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये हुये है। इस प्रकार उक्त आदेश से नई तरमीम को आधार मानकर आबादी से बेदखल करने पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 आमादा है, जिसका उनको कोई आधार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.09.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। परंतु बावजूद सूचना रेस्पो0 1 एवं 2 के अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एकपक्षीय सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सूचना व सुनवाई के अधिकारों से वंचित करते हुये पूर्णतया नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लघंन करके निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में बिना तामील के ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, जो पूर्णतया सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी को आबादी विस्तार हेतु सेट–अपार्ट की गई भूमि जो कि खसरा नं0 387 की 7 बीघा कृषि आराजी है, जिस पर मौका स्थिति के अनुसार पूर्व से ही आबादी विकसित होने के कारण व बैरवा बस्ती बसी होने से ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिये आवंटित की गई थी। उक्त खसरा नं० पूर्णतया आबादी की भूमि से घिरा हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की रिपोर्ट हल्का पटवारी से प्राप्त किये मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य

है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.09. 2019 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी पर एकपक्षीय मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के द्वारा आदेश दिनांक 09.02.2013 से ग्राम पंचायत सीसोला को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आबादी विस्तार हेतु ग्राम सीसोला की आराजी खसरा सं0 387 रकबा 07 बीघा भूमि को आरक्षित करने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 क्र. 1 रामकिशन एवं रेस्पो0 क्र. 2 रामकरण के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को पेश की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 12.09.2017 से रेस्पो0 क्र. 1 रामकिशन एवं रेस्पो0 क्र. 2 रामकरण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं होना प्रकट करते हुए, उनके द्वारा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त आशय की अपील निर्णय दिनांक 12.09.2017 से खारिज की गई तथा उपखण्ड अधिकारी नैनवां का आदेश दिनांक 09.02.2013 को बहाल रखे जाने का निर्णय पारित किया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 12.09.2017 से अप्रसन्न होकर रेस्पो0 क्र. 1 रामकिशन एवं रेस्पो0 क्र. 2 रामकरण द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रकरण सं0 अपील/एलआर/5790/2017/बून्दी बउनवान रामकिशन वगैराह बनाम ग्राम पंचायत सीसोला वगैराह में निर्णय दिनांक 14.11.2017 से रेस्पो0 क्र. 1 रामकिशन एवं रेस्पो0 क्र. 2 रामकरण की उक्त आशय की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 12.09.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नैनवां को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि वे प्रकरण में उभय पक्षों को सुनकर रेस्पो0 क्र. 1 रामकिशन एवं रेस्पो0 क्र. 2 रामकरण को आवंटित रकबा छोड़ते हुए ग्राम पंचायत, सीसोला (अपीलार्थी) को आबादी विस्तार हेतु आवंटित 7 बीघा भूमि का सीमाज्ञान करवा कर उन्हें कब्जा संभलाये। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 14.11.2017 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी, नैनवां के द्वारा रेस्पो0 क्र. 1 रामकिशन की खसरा संख्या 387/1895 रकबा 7 बीघा व रेस्पो0 क्र.2 रामकरण की भूमि खसरा संख्या 387/1894 रकबा 7 बीघा खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को छोड़ते हुये पंचायत की आवंटित भूमि 7 बीघा की पैमाईश (सीमाज्ञान कर) पंचायत को सम्भलाने तथा खातेदारान की कब्जे काश्त की भूमि उनके कब्जे काश्त अनुसार तरमीम किये जाने का निर्णय दिनांक 30.09.2019 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का न्यायालय हाजा में मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को सूचना व सुनवाई के अधिकारों से वंचित करते हुये बिना तामील के ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, जो पूर्णतया सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है। अपीलार्थी को आबादी विस्तार हेतु सेट-अपार्ट की गई भूमि जो कि खसरा नं0 387 की 7 बीघा कृषि आराजी है, जिस पर मौका स्थिति के अनुसार पूर्व से ही आबादी विकसित होने के कारण व बैरवा बस्ती बसी होने से ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिये आवंटित की गई थी।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 14.11.2017 का अवलोकन किया गया, जिसमें विवेचन किया गया है कि "उपखण्ड अधिकारी, नैनवां ने दिनांक 09.02.2013 को ग्राम पंचायत, सीसोला को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आबादी विस्तार हेतु ग्राम सीसोला की खसरा सं0 387 की 7 बीघा भूमि अधिग्रहित करने का आदेश पारित किया है, इस आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है"

इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.11.2017 से प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, नैनवां के आदेश दिनांक 09.02.2013 को उचित मानते हुए निरस्त नहीं किया जाकर रेस्पो0 क्र. 1 रामकिशन एवं रेस्पो0 क्र. 2 रामकरण को आवंटित रकबा छोड़ते हुए अपीलार्थी ग्राम पंचायत सीसोला को आबादी विस्तार हेतु आवंटित 7 बीघा भूमि का सीमाज्ञान करवा कर उन्हें कब्जा संभलवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2017 से उभयपक्षकारान की सुनवाई हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नैनवां को प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरांत उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लगभग 2 वर्ष पश्चात दिनांक 16.09.2019 को प्रकरण दर्ज किया जाना प्रकट होता है तथा प्रकरण में आदेशिका

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

दिनांक 16.09.2019 से प्रकरण दर्ज किया जाकर सुनवाई हेतु दिनांक 30.09.2019 नियत की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 14.11.2017 के उपरांत अत्यधिक विलम्ब से प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की दृष्टि से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां का निर्णय दिनांक 30.09.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके व वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त आवंटन संबंधी प्रावधानों का पूर्ण परीक्षण कर प्रकरण में पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा